बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–03 / स्था0रा0से0(नियुक्ति–70वीं)–14 / 2026– **(3) रा0 /, पटना–15, दिनांक–**

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक–32 / लो0से0आ0 / गो0, दिनांक–21.07.2026 के माध्यम से बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल–7 (₹44,900–₹1,42,400) में (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेघा क्रमांक	मूल आरक्षण	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	441689	**श्री विशाल कुमार**	सारण	29-10-1994	638	01– सामान्य	01
2	549414	**श्री शशि कुमार**	पटना	08-03-1992	951	05– पिछड़ा वर्ग	05
3	491065	**श्री रंधीर कुमार**	भोजपुर	10-01-1995	1126	05– पिछड़ा वर्ग	05
4	559586	**श्री ओम प्रकाश चौधरी**	पटना	13-02-1994	3468	02. –अनुसूचित जाति	02 ***
5	193376	**श्री निखिल कुमार**	मुजफ्फरपुर	15-03-1993	4599	07– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	07 (Disabled-VI)

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से की जा रही है। सत्यापन के क्रम में किसी भी स्तर पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्त होने वाले संबंधित अभ्यर्थी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

4. अधिसूचना में अंकित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दिनांक–27.11.2026 (शुक्रवार) तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

6. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमन आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ पत्र समर्पित नहीं किया गया है, का योगदान अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ–पत्र समर्पित करने उपरान्त ही स्वीकृत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अकबर अली)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति–70वीं)–14/2026– .....**(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–**.....

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अकबर अली)
सरकार के अवर सचिव

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अकबर अली)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति–70वीं)–14/2026– .....(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री कोषांग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/विकास आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी ज़िला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अकबर अली)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति–70वीं)–14/2026– .....(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना एवं अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अकबर अली)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति–70वीं)–14/2026– .....(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अकबर अली)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति–70वीं)–14/2026–1741.....(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/11/26

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13.11.26
(अकबर अली)
सरकार के अवर सचिव